संख्या- 3/2015/312/44-1-2015-2 उ0वे0रि0/98

प्रेषक

डा0 सूर्य प्रताप सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों के प्रशासनिक विभागों के
प्रमुख सचिव/ सचिव ।

सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-1 लखनऊ दिनांक 24 मार्च, 2015

विषय- सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों के अधिकारियों/कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते का भुगतान ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या. 03/44:1/2013:2 उवेरि/98, दिनांक 23 जुलाई,2014 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों से संबंधित अधिनियमों/विनियमों,कम्पनीज एक्ट, 1956 अथवा सोसायटीज एक्ट,1860 के अन्तर्गत पंजीकृत सार्वजनिक उपक्रमों के आर्टिकल्स आफ एसोसिएशन से संबंधित आर्टिकल्स तथा उ0प्र0 सार्वजनिक निगमों पर नियंत्रण अधिनियम 1975 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 41,1975) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुये श्री राज्यपाल महोदय उक्त संस्थाओं के समस्त पूर्णकालिक अधिकारियों/कर्मचारियों को, जो पूर्व से ही राज्य सरकार के कार्मिकों को मिलने वाली दर पर मंहगाई भत्ता/ अतिरिक्त मंहगाई भत्ता पाते है तथा वेज बोर्ड द्विपक्षीय समझौते के अन्तर्गत नहीं आते है, को निम्नानुसार संशोधित दर पर मंहगाई भत्ते के भुगतान की सहर्ष स्वीकृत प्रदान करते है -

(क) 01 जनवरी,1996 से पुनरीक्षित वेतनमान पाने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये ।	दिनांक 01;07;2014 से वेतन का 262 प्रतिशत तथा जिन सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों में शासनादेश संख्या 1090(1)/44.1.2009.2 उवेरि/ 98, दिनांक 11 सितम्बर,2009 के अनुसार मूल वेतन के 50 प्रतिशत के बराबर मंहगाई भत्ते को मंहगाई वेतन के रूप में परिवर्तित किये जाने का निर्णय लिया गया है, उनके लिये वेतन तथा मंहगाई वेतन के योग का 212 प्रतिशत ।
(ख) 01 जनवरी,1996 से अपुनरीक्षित वेतनमान पाने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये ।	शासनादेश संख्या 932 पी0आर0सी0/44.1.99. दिनांक 28 दिसम्बर,1999 के प्रस्तर 2 में दी गयी प्रक्रियानुसार दिनांक 01;07;2014 से मूल वेतन का 254 प्रतिशत ।
(ग) 01 जनवरी,2006 से पुनरीक्षित वेतनमान पाने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये ।	दिनांक 01;07;2014 से मूल वेतन का 107 प्रतिशत ।

2; यहॉ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि मंहगाई भत्ते की उपरोक्त किश्ते शासनादेश संख्या 1090/44;1;2009;2 उवेरि/98, दिनांक 11 सितम्बर,2009 में निर्धारित निम्न शर्तो /प्रतिबन्धों के अधीन होगी .

(1) बढी हुई दर से मंहगाई भत्ता केवल उन्हीं सार्वजनिक उद्यमों के कर्मियों को अनुमन्य होगा जिनकी अपनी आन्तरिक क्षमता ऐसी हो कि वे अतिरिक्त व्यय भार वहन करने में सक्षम हो ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(2) जिन सार्वजनिक उद्यमों को बन्द करने का औपचारिक निर्णय सक्षम स्तर पर लिया जा चुका हो, उन्हें बढी हुई दर से मंहगाई भत्ता अनुमन्य नहीं होगा ।

(3) संबंधित निगम/उपक्रम का सांविधिक देय ई0पी0एफ0, पेंशन अंशदान तथा आयकर लम्बित न हो ।

(4) प्रदेश सरकार द्वारा कोई भी वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जायेगी ।

3; उपर्युक्त प्रस्तर; 2(1) में उल्लिखित शर्त के तहत प्रत्येक सार्वजनिक उपक्रम/निगम की वित्तीय क्षमता का आंकलन संबंधित उद्यम /निगम के बोर्ड द्वारा अनुमोदन पश्चात संबंधित निगम /उपक्रम के प्रबन्ध निदेशक द्वारा प्रमुख सचिव/सचिव, सार्वजनिक उद्यम विभाग की अध्यक्षता में गठित अधिक्रत समिति को प्रस्ताव संदर्भित किया जायेगा । उक्त समिति में प्रशासकीय विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त तथा संबंधित उपक्रम के प्रबन्ध निदेशक सदस्य है । उक्त समिति निर्णय लेते समय संबंधि उद्यम /निगम के चार्टेड एकाउन्टेन्ट द्वारा आडिट की हुई बैलेन्स शीट के अनुसार नकद लाभ अर्जित होने की स्थिति के आधार पर भुगतान क्षमता का आंकलन करेगी । ऐसी आंकलन इस द्रष्टिकोण से भी किया जाना अपेक्षित होगा कि मंहगाई भत्ते की किश्त का भुगतान किस तिथि से तथा किस रूप में किया जाना है ।

4; दिनांक 01;01;2006 से पुनरीक्षित वेतनमान पाने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए आगणन हेतु मूल वेतन का तात्पर्य दिनांक 01;01;2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में कर्मचारियों को अनुमन्य वेतन बैण्ड में 'वेतन' तथा अनुमन्य 'ग्रेड वेतन' के योग से होगा, किन्तु नियत वेतनमान में अनुमन्य वेतन ही मूल वेतन माना जायेगा । उक्त के अतिरिक्त अन्य प्रकार के वेतन जैसे विशेष वेतन, सीमान्त विशेष वेतन/भत्ता, वैयक्तिक वेतन, प्रतिनियुक्ति भत्ता/ वेतन तथा अन्य भत्ते आदि भले ही वे मूल नियम के अन्तर्गत वेतन की परिभाषा में आते हो, को मूल वेतन के साथ सम्मिलित नहीं किया जायेगा ।

5; मंहगाई भत्ते को एक तरह का विशिष्ट धटक ही माना जायेगा तथा वित्तीय नियम के अन्तर्गत वेतन नहीं माना जायेगा ।

भवदीय,

(डा0 सूर्य प्रताप सिंह)
प्रमुख सचिव ।

संख्या-3/2015/312/44-1-2015-2 उ0वे0रि0/98 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1; महालेखाकार (लेखा परीक्षा) द्वितीय , उ0प्र0 लखनउ ।
2; राज्य के समस्त सार्वजनिक उपक्रमों/ निगमों के प्रबन्ध निदेशक / मुख्य कार्यकारीअधिकारी
3; महानिदेशक, सार्वजनिक उद्यम व्यूरो , जवाहर भवन, लखनउ ।
4; वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1/2
5; संयुक्त निदेशक, सार्वजनिक उद्यम व्यूरो, जवाहर भवन को विभागीय वेबसाइट हेतु ।
6; सार्वजनिक उद्यम अनुभाग.2/सार्वजनिक उद्यम विभाग,आडिट प्रकोष्ठ ।
7; निदेशक, सूचना एवं विशेष कार्याधिकारी,सूचना,मुख्य मंत्री उ0प्र0 ।

आज्ञा से,

(मुरारी लाल)
अनु सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in